न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/280

दायरा तिथि : 22.07.2022

आदेश तिथि : 31-10-22

प्रार्थी :–

नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत
निवासी दूदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 31-10-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा दूदनी (बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 502 रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा दूदनी के खसरा नंबर 500 रकबा 4.9300 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/2633 दिनांक 14.09.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की।

तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 502 रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दूदनी तह0 बाली के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है तथा आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	500	4.93 हैक्टर	गै.मु. मगरी	42 X 9 = 378 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी.दर 167670/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 502 रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/2633 दिनांक 14.09.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012

पेज लगातार—2

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/280

अनवान नरपतसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 502 रकबा 0.7800 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा दूदनी के खसरा नंबर 500 रकबा 4.9300 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी **मेंसे 42X9=378 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 167670/– प्रति हैक्टेयर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
500	4.93 हैक्टर	42 X 9 = 378 वर्गमीटर	17.00	6426 X2=12852	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **12852/– (अक्षरे बारह हजार आठ सौ बावन रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहला नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 31-10-2022

पत्रांक : कोर्ट/2022/3721-25

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बेडा
3. पटवारी हल्का दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नरपतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी दूदनी तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner